CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED

(भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड)

DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

w.e.f. 15.11.2016

लाभांश वतरण पॉ लसी

भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं अपे क्षत प्रकटीकरण) के वनियम **2015** के नियम **43A** के अनुसरण में।

1. प्रस्तावना:-

भारतीय प्रतिभूति एवं वनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं अपे क्षत प्रकटीकरण), वनिमय 2015 (सेबी एल ओ डी आर वनियम) के नियम 43A के अनुसार बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वत्त वर्ष के 31 मार्च की गणना) के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों को लाभांश वतरण पॉ लसी बनानी होगी और उसका उल्लेख वा र्षक रिपोर्ट और वेबसाइट पर करना होगा। शीर्ष 500 कंपनियों के अतिरिक्त अन्य कंपनियां बाजार पूंजीकरण के आधार पर लाभांश वतरण पॉ लसी का प्रकटन अपनी वा र्षक रिपोर्ट एवं वेबसाइट पर करेगी।

वनियम 43A के उपर्युक्त प्रावधानों और कॉनकॉर (जिसे यहां कंपनी सद र्भत कया गया है) जो क बाजार पूंजीकरण के मानदंड पर शीर्ष 500 कंपनियों में हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने अपने शेयरधारकों और/अथवा लाभ को बनाए रखने अथवा पुन: लाभ को लगाने के लए लाभांश वतरण हेतु वस्तृत फ्रेम वर्क तैयार कए जाने का निर्णय लया है। तदनुसार लाभांश वतरण की यह पॉ लसी तैयार की गई।

यहां वर्जित सभी सुसंगत परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए लाभांश, संस्तुति जो प्रत्येक वर्ष की जाती है, यह पॉ लसी उस निर्णय का वकल्प नहीं है/अथवा बोर्ड द्वारा मान्य अन्य संगत तत्व/ वत्तीय मानदंडों सहित बाहरी एवं आंतरिक तत्वों को व्यापक रूप में इस पॉ लसी के उद्देश्यों को उल्लेख लाभांश की घोषणा करते हुए की जाए तथा उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करें जिसमें कंपनी के शेयरहोल्डर लाभांश आदि की उम्मीद करें या नहीं। सेबी/डीपीई/डीआईपीएएम/सरकार तथा कंपनी पर लागू अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर इस पॉ लसी का कार्यान्वयन कंपनी अ धनियम, सेबी एल ओ डी आर के प्रावधानानुसार लागू कए जाएंगे।

2. प्रभावी ति थ:

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की ति थ अर्थात 15.11.2016 से यह पॉ लसी प्रभावी है।

3. पॉ लसी लागू नहीं:-

- लाभांश का वतरण अर्थात पूर्ण अथवा आं शक बोनस शेयर जारी करना प्रतिभूतियों को पूर्णतया अथवा आं शक निर्गमन बशर्तें की कानूनन लागू हो।

- इक्विटी शेयरों के बायबैक के माध्यम से लाभांश के वैकल्पिक भुगतान हेतु नकद भुगतान।

4. लाभांश की घोषणा करते हुए ध्यानार्थ तथ्य:-

कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा करने में निम्न ल खत बाह्य एवं आंतरिक तथ्यों पर निर्भर करता है:-

4.1. लाभांश दिए जाने के फैसले को प्रभा वत करने वाले बाहरी तत्वों में आ र्थक, परिदृश्य, बाजार की स्थितियां, शेयर धारकों की आशाएं तथा संवैधानिक अपेक्षा तथा समय-समय पर लागू सरकारी निदेश एवं दिशा निर्देश परस्पर सम्मि लत है।

4.2. लाभांश दिए जाने के आंतरिक तत्वों में कंपनी की लाभ प्रदत्ता, निवल धन, प्रोजेक्ट/वस्तार हेतु फंड की आवश्यकता, सहायक/संयुक्त उपक्रमों की निवेश आवश्यकता अ धकतम प्रतिफल प्राप्ति हेतु लघु अव ध के निवेश की परिपक्वता तथा कोई अन्य तत्व जो लाभांश के घो षत करने के फैसले को प्रभा वत करते है। अंतरिम लाभांश के मामले में अंतिम तिमाही के अलेखा परी क्षत परिणामों के आधार पर (कंपनी अ धनियम 2013 के अनुसार ह्रास की गणना पश्चात) लाभ जो क बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो तथा वत्त वर्ष के शेष भाग के संभा वत लाभ को प्रबंधन ने समझ लया है।

4.3. शेयरधारकों को दिए गए लाभांश पर देय लाभांश वतरण टैक्स भी भुगतान हेतु लाभांश में माना जाएगा।

5. परिस्थितयां जिनके अंतर्गत शेयरधारक लाभांश की आशा कर सकते हैं अथवा नहीं:-

5.1. सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही कंपनी लाभांश की घोषणा करती है। भ वष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के साथ-साथ शेयरधारको को लाभ का सामानुपातिक आधार पर लाभांश की घोषणा हेतु कंपनी संतु लत दृष्टिकोण अपनाती है।

5.2. कंपनी अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान लगातार कर रही है तथा भ वष्य के आशानुरूप लाभांश की घोषणा तब तक करती रहेगी जब तक की अपर्याप्त लाभ अथवा व्यवसाय की आवश्यकताओं हेतु लाभ का निवेश अथवा उपर्युक्त व र्णत बाहरी एवं आंतरिक तत्वों के कारण इसे नियोजित ना करना पड़े।

5.3 भारत सरकार द्वारा समय –समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार लाभांश की घोषणा करने के लए कंपनी प्रयास करती रहेगी। हालां क कंपनी नकद प्रवाह स्थिति तथा भ वष्य हेतु फंड की आवश्यकता जैसे व भन्न वत्तीय मानदंडों का वश्लेषण करने के पश्चात लाभांश कम करने का प्रस्ताव कर सकती है।

6. उपार्जन उपयो गता बनाए रखना:-

उद्योगों को लॉजिस्टिक्स स र्वस प्रदान करने के व्यवसाय में कंपनी लगी हुई है जिसके लए बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा वद्यमान ढांचे को बनाए रखने, उपकरणों की प्राप्ति तथा नए संगत क्षेत्रों में व्यवसाय के वस्तार हेतु निय मत निवेश भी करना है। व्यवसाय से प्राप्त लाभ को कंपनी के व्यवसायिक वस्तार तथा ढांचागत निर्माण हेतु लगातार पुन: निवेश कया जाएगा। कंपनी की उपार्जित आय को उपयोग करने संबंधी फैसला कंपनी के व भन्न तत्वों जैसे दीर्घका लक एवं लंबी अ व ध की योजना, व व धकरण, सरकार के बोनस एवं बॉयबैक के निर्देश तथा कोई भी अन्य मानदंड जिसे कंपनी का निदेशक मंडल उ चत समझे, पर आधारित होता है। अत: उपार्जित आय का उपयोग इस ढंग से कया जाएगा क जिससे की शेयरधारकों की महत्ता में स्थाई तरीके से वृद् ध हो।

7. शेयर की व भन्न श्रे णयों हेतु मानदंड:-

चूं क कंपनी ने समान वोट के अ धकार के साथ एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर जारी कए है अत: कंपनी के सभी सदस्य प्रतिशेयर समान लाभांश प्राप्ति के हकदार है। नई श्रेणी के शेयर जारी करते समय उनकी प्रकृति एवं दिशा निर्देशानुसार पॉ लसी उपयुक्त रूप से संक लत होगी।

8. संसोधन:-

कंपनी के निदेशक मंडल के पास यह अ धकार सुर क्षत है क कसी भी समय आवश्यकतानुसार इस पॉ लसी का पूर्ण अथवा आं शक रूप से संसोधन अथवा समीक्षा कर सकें।

9. प्रकटीकरण:-

इस पॉ लसी का प्रकटीकरण वा र्षक रिपोर्ट में कया जाएगा तथा कंपनी की वेबसाइट www.concorindia.com पर भी दर्शाई जाएगी।